

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.1(1)चि.स्वा./2/2025

जयपुर, दिनांक :

आदेश

डा. प्रियंका सोनी, कनिष्ठ विशेषज्ञ (निश्चेतन), पुलिस लाईन, अजमेर को आर. यू. एच. एस. जयपुर में अग्रिम आदेशों तक कार्य व्यवस्था के अन्तर्गत तुरन्त प्रभाव से लगाया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निशा मीना)

संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा
एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग एवं
पचायती राज (चिकित्सा विभाग)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, आर. यू. एच. एस. जयपुर
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर
5. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राज.
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
7. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय/उप जिला चिकित्सालय/सैटेलाईट अस्पताल, राज.
8. संबंधित अधिकारी
9. कम्प्यूटर सैल

संयुक्त शासन सचिव

Document certified by Nisha Meena
<dsmedicalgroup2@gmail.com>.

Digitally Signed by Nisha Meena
Designation: Joint Secretary To
Government

Date :18-03-2026 05:12:00

RajKaj Ref No.:
20942767

eSign DSC